चुटका परमाणु संघर्ष समिति समर्थक समूह

गुरूनानक मार्केट, रसेल क्रॉसिंग, जबलपुर, म.प्र.–482001 मोबाईल : 09425384555

दिनाँक : 15 फरवरी, 2014

प्रति,

आयुक्त,
जबलपुर संभाग, म.प्र. शासन
जबलपुर, म.प्र.

विषय : चुटका परमाणु परियोजना पर जबलपुर निवासियों की ओर से आपत्ति।

महोदय,

जिलाध्यक्ष, मण्डला के निर्देश पर चुटका परमाणु परियोजना के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) तथा परमाणु विद्युत कार्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा तैयार पर्यावरण प्रभाव आंकलन रिपोर्ट पर जब सुनवाई का कार्यक्रम 17 फरवरी, 2014 को चुटका (तह. नारायणगंज, जिला मण्डला) में आयोजित है। चुटका परियोजना का बरगी बांध के नीचे नर्मदा नदी के किनारे बसे प्रायः सभी शहर एवं ग्रामवासी पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। आज सिविक सेन्टर में जबलपुर के अनेक संगठन इस विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए एवं विस्तार से चर्चा के बाद इस परियोजना को जनविरोधी घोषित किया गया।

जबलपुर निवासियों को नर्मदा नदी से ही जलापूर्ति होती है और यह जल बरगी जलाशय से नर्मदा नदी में आता है। अतः जबलपुरवासी भी इस परियोजना से प्रभावित होंगे। जबलपुर निवासियों की ओर से यह आपत्ति आपके माध्यम से भारत शासन के समक्ष इस आशय के साथ प्रस्तुत है कि चुटका परमाणु परियोजना को रद्द कर दिया जाये।

1) चुटका मध्यप्रदेश परमाणु बिजलीघर परियोजना के खिलाफ स्थानीय समुदाय द्वारा मानेगांव, नारायणगंज में अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है, जिसकी विधिवत् सूचना कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, मण्डला को 05 फरवरी, 2014 को दी जा चुकी है, किन्तु स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस बल लोगों को रोक रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। यह समाज के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। कृपया तत्काल हस्तक्षेप कर स्थानीय समुदाय को अपनी बात रखने, विरोध प्रदर्शन करने का हक दिलाए।

2) टिकरिया एवं बीजाडांडी थाना (जिला मण्डला) द्वारा क्षेत्र में भारी पुलिस बल लगागर दहशत पैदा की जा रही है। मानेगांव के स्कूलों की छुट्टी कर भारी पुलिस बल तैनात है।

3) स्थानीय एवं आसपास के लागों को धरना स्थल पर जाने से रोका जा रहा है। नाव घाट बन्द किए गए जा रहे हैं। नाविकों को मौखिक रूप से धमकाया जा रहा है। यह न्यायपूर्ण नहीं है।

4) कृपया लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण विरोध कर रहे लोगों को अपनी बात रखने का हक सुनिश्चित करने का अनुरोध है। यदि प्रशासन एवं स्थानीय समुदाय के बीच टकराव होता है तो इसके लिए प्रशासन व समुदाय के बीच टकराव होता है तो इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। हमने इसके पूर्व भी शांतिपूर्ण विरोध ही किया है।

5) चुटका परमाणु बिजलीघर के खिलाफ आज 15 फरवरी, 2014 से भोपाल, होशंगाबाद, बैतूल, जबलपुर, मानेगांव (मण्डला) जिलों में एक साथ विरोध प्रदर्शन जारी है।

6) चुटका परमाणु परियोजना का डिजाईन भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया है, इस डिजाइन का परीक्षण 700 मेगावाट विद्युत उत्पादन के लिए अभी तक नहीं किया गया है, अतः दुर्घटना का खतरा अधिक है। डिजाइन की प्रामाणिकता संदिग्ध है, इसलिए इसे स्थापित न किया जाये।

7) आपदा प्रबंधन संस्थान, भोपाल द्वारा प्रकाशित पुस्तक में म.प्र. का भूकम्प संवेदी क्षेत्र दर्शाया गया है, जो संलग्नक (क) है। इसमें जबलपुर जिला तथा मण्डला के टिकरिया को अति संवेदी क्षेत्र के रूप में रेखांकित किया गया है। चुटका, टाटीघाट, कुंडा, इसी अति संवेदनशील क्षेत्र के अन्तर्गत हैं। मूल ढांचा भले ही रेक्टर स्केल 7 के भूकम्पीय कम्पन को झेलने की दृष्टि से बनाया जाय किन्तु अन्य

प्रणालियां जो परमाणु संयंत्र को चलावेंगी उनके भूकम्प की दशा में सुरक्षित बचने की कोई गारंटी नहीं रहेगी। इसलिए चुटका परमाणु परियोजना स्थापित नहीं किया जाय। ई.आई.ए. रिपोर्ट में भूकम्प की दृष्टि से प्रस्तावित स्थल के अति संवेदनशील और खतरनाक होने के तथ्य को छुपाया गया है, अतः यह रिपोर्ट अविश्वसनीय है।

8) परमाणु संयंत्र में लगभग 7 करोड़ 25 लाख 76 हजार घनमीटर पानी प्रतिवर्ष नर्मदा की जलधारा से लिया जावेगा जो वापस नहीं होगा। इसलिए नर्मदा नदी में बरगी के नीचे बसे जबलपुर सहित सभी नगरवासी जलाभाव के कारण प्रभावित होंगे। नर्मदा जल में पानी के घट जाने से पर्यावरणीय संकट उत्पन्न होगा, अतः परियोजना रद्द की जाये।

9) संयंत्र को ठण्डा करके जो पानी वापस बरगी जलाशय में छोड़ा जावेगा वह रेडियोधर्मिता युक्त होगा। जलाशय का पानी नर्मदा में जावेगा और उक्त रेडियोधर्मी प्रदूषण युक्त पानी से जलाशय की मछलियां और वनस्पति प्रदूषित होंगे। उन्हें खाने वाले लोगों को केंसर, विकलांगता और अन्य बीमारियों का खतरा रहेगा। नर्मदा जल पीने और नर्मदा नदी की मछलियों को खाने वालों में जबलपुरवासी सर्वाधिक मात्रा में हैं, अतः उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु परियोजना को रद्द किया जाये।

10) रावतभाटा परमाणु संयंत्र के आसपास 6 किलोमीटर की परिधि के गांवों में केंसर और विकलांगता अधिक मात्रा में पाई गई है। इस अनुभव से चुटका परमाणु संयंत्र से होने वाली क्षति को रोकने परियोजना को रद्द किया जाये।

11) संयंत्र से निकलने वाली रेडियोधर्मी वाष्प का आसपास के 50 किलोमीटर क्षेत्र में फैलाव होगा। बरसात के साथ वह खेतों में गिरेगा। वहां उगने वाली फसल और चारा रेडियोधर्मी हो जावेगा। उसे खाने वाले मनुष्य और पशु बीमार होंगे, अतः परियोजना रद्द की जाये।

12) संयंत्र से निकलने वाला रेडियोधर्मी ठोस कचड़े का निस्तारण करने की सुरक्षित विधि नहीं है। विज्ञान उसे अभी तक नहीं खोज पाया है। ऐसी दशा में 2.4 लाख वर्ष तक वह रेडियोधर्मी कचड़ा जैव विविधता को नुकसान पहुंचाता रहेगा, अतः इस दृष्टि से परियोजना को रद्द किया जाये।

13) आर्थिक रूप से परियोजना महंगी बिजली पैदा करेगा। यूरेनियम की आपूर्ति के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसलिए परियोजना के सफलतापूर्वक संचालन की कोई गारंटी नहीं है, अतः परियोजना अव्यवहारिक और आत्मनिर्भरता विरोधी है। इस कारण परियोजना को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

14) राजस्थान में थार मरूस्थल के तापीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन हेतु अनेक संयंत्र निजी क्षेत्रों ने लगाये हैं। इनसे सस्ती और टिकाऊ बिजली प्राप्त होगी। सरकार के नवीन एवं अक्षय ऊर्जा विभाग के अनुसार थार मरूस्थल के बीस फीसदी भू–भाग से ही 7 लाख मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। जो भारत की वर्तमान विद्युत उत्पादन क्षमता से दो गुना है। अतः इस विकल्प के होते हुये परमाणु ऊर्जा के उत्पादन का खतरा लेना अव्यवहारिक है। इसलिए चुटका परियोजना रद्द किये जाने योग्य है।

जन संघर्ष मोर्चा, म.प्र.; भारतीय कम्पयुनिष्ट पार्टी, म.प्र.; पीपुल्स इनीशिएटिव अगेन्स्ट न्यूक्लियर पावर; आल इंडिया स्टूडेन्ट फेडरेशन; आल इंडिया यूथ फेडरेशन, म.प्र.; क्रांतिकारी नौजवान भारत सभा, म.प्र.; अखिल भारतीय क्रांतिकारी विद्यार्थी संगठन, म.प्र.; इंडिया अगेन्स्ट करप्शन; बरगी बांध विस्थापित एवं प्रभावित संघ; नेताजी सुभाष फाउन्डेशन, म.प्र इकाई; भारत जन आन्दोलन; त्रिवेणी परिषद; नागरिक अधिकार मंच, मानव अधिकार संगठन, रेवा सेवा संघ आदि संगठनों की ओर से प्रस्तुत।

राजकुमार सिन्हा मो. : 09424385139	बीना कुमारी मो. : 09479758416	राजेश तिवारी मो. : 08517891028
अनिल कर्णे मो. : 09425384555	प्रवीण सिंह मो. : 07489596685	जाहीद अंसारी मो. : 09424900010

चुटका परमाणु संघर्ष समिति समर्थक समूह
गुरूनानक मार्केट, रसेल क्रॉसिंग, जबलपुर, म.प्र.–482001 मोबाईल : 09425384555

दिनाँक : 15 फरवरी, 2014

सादर प्रकाशनार्थ :–

भारी पुलिस बल के साये में जन–सुनवाई का नाटक

● जन–सुनवाई स्थल पर आने–जाने पर प्रशासन द्वारा रोका जा रहा
● पुलिस बल द्वारा दहशत फैलाई जा रही
● स्थानीय स्कूलों पर पुलिस का कब्जा
● मानेगांव में धारा 144 लगी

जबलपरफ। जिलाध्यक्ष, मण्डला के निर्देश पर चुटका परमाणु परियोजना के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) तथा परमाणु विद्युत कार्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा तैयार पर्यावरण प्रभाव आंकलन रिपोर्ट पर जब सुनवाई का कार्यक्रम 17 फरवरी, 2014 को चुटका (तह. नारायणगंज, जिला मण्डला) में आयोजित है। चुटका परियोजना का बरगी बांध के नीचे नर्मदा नदी के किनारे बसे प्रायः सभी शहर एवं ग्रामवासी पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। आज सिविक सेन्टर में जबलपुर के अनेक संगठन इस विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए एवं विस्तार से चर्चा के बाद इस परियोजना को जनविरोधी घोषित किया गया।

जबलपुर निवासियों को नर्मदा नदी से ही जलापूर्ति होती है और यह जल बरगी जलाशय से नर्मदा नदी में आता है। अतः जबलपुरवासी भी इस परियोजना से प्रभावित होंगे। जबलपुर निवासियों की ओर से यह आपत्ति आपके माध्यम से भारत शासन के समक्ष इस आशय के साथ प्रस्तुत है कि चुटका परमाणु परियोजना को रद्द कर दिया जाये।

1) चुटका मध्यप्रदेश परमाणु बिजलीघर परियोजना के खिलाफ स्थानीय समुदाय द्वारा मानेगांव, नारायणगंज में अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है, जिसकी विधिवत् सूचना कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, मण्डला को 05 फरवरी, 2014 को दी जा चुकी है, किन्तु स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस बल लोगों को रोक रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। यह समाज के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। कृपया तत्काल हस्तक्षेप कर स्थानीय समुदाय को अपनी बात रखने, विरोध प्रदर्शन करने का हक दिलाए।

2) टिकरिया एवं बीजाडांडी थाना (जिला मण्डला) द्वारा क्षेत्र में भारी पुलिस बल लगागर दहशत पैदा की जा रही है। मानेगांव के स्कूलों की छुट्टी कर भारी पुलिस बल तैनात है।

3) स्थानीय एवं आसपास के लागों को धरना स्थल पर जाने से रोका जा रहा है। नाव घाट बन्द किए गए जा रहे हैं। नाविकों को मौखिक रूप से धमकाया जा रहा है। यह न्यायपूर्ण नहीं है।

4) कृपया लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण विरोध कर रहे लोगों को अपनी बात रखने का हक सुनिश्चित करने का अनुरोध है। यदि प्रशासन एवं स्थानीय समुदाय के बीच टकराव होता है तो इसके लिए प्रशासन व समुदाय के बीच टकराव होता है तो इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। हमने इसके पूर्व भी शांतिपूर्ण विरोध ही किया है।

5) चुटका परमाणु बिजलीघर के खिलाफ आज 15 फरवरी, 2014 से भोपाल, होशंगाबाद, बैतूल, जबलपुर, मानेगांव (मण्डला) जिलों में एक साथ विरोध प्रदर्शन जारी है।

6) संयंत्र को ठण्डा करके जो पानी वापस बरगी जलाशय में छोड़ा जावेगा वह रेडियोधर्मिता युक्त होगा। जलाशय का पानी नर्मदा में जावेगा और उक्त रेडियोधर्मी प्रदूषण युक्त पानी से जलाशय की मछलियां और वनस्पति प्रदूषित होंगे। उन्हें खाने वाले लोगों को केंसर, विकलांगता और अन्य बीमारियों का खतरा रहेगा। नर्मदा जल पीने और नर्मदा नदी की मछलियों को खाने वालों में जबलपुरवासी सर्वाधिक मात्रा में हैं, अतः उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु परियोजना को रद्द किया जाये।

7) संयंत्र से निकलने वाली रेडियोधर्मी वाष्प का आसपास के 50 किलोमीटर क्षेत्र में फैलाव होगा। बरसात के साथ वह खेतों में गिरेगा। वहां उगने वाली फसल और चारा रेडियोधर्मी हो जावेगा। उसे खाने वाले मनुष्य और पशु बीमार होंगे, अतः परियोजना रद्द की जाये।

8) आपदा प्रबंधन संस्थान, भोपाल द्वारा प्रकाशित पुस्तक में म.प्र. का भूकम्प संवेदी क्षेत्र दर्शाया गया है, जो संलग्नक (क) है। इसमें जबलपुर जिला तथा मण्डला के टिकरिया को अति संवेदी क्षेत्र के रूप में रेखांकित किया गया है। चुटका, टाटीघाट, कुंडा, इसी अति संवेदनशील क्षेत्र के अन्तर्गत हैं। मूल ढांचा भले ही रेक्टर स्केल 7 के भूकम्पीय कम्पन को झेलने की दृष्टि से बनाया जाय किन्तु अन्य प्रणालियां जो परमाणु संयंत्र को चलावेंगी उनके भूकम्प की दशा में सुरक्षित बचने की कोई गारंटी नहीं रहेगी। इसलिए चुटका परमाणु परियोजना स्थापित नहीं किया जाय। ई.आई.ए. रिपोर्ट में भूकम्प की दृष्टि से प्रस्तावित स्थल के अति संवेदनशील और खतरनाक होने के तथ्य को छुपाया गया है, अतः यह रिपोर्ट अविश्वसनीय है।

भवदीय

अनिल कर्णे
मो. : 0942538455

प्रति,

सम्पादक महोदय
——————————
——————————